कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

-झारखण्ड सरकार

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रांची - 834001

पत्रांक : एग्री.रिर्फोम्स–समेति/08/05–06/...11...... दिनांक: 27.7.2005

कार्यालय–आदेश

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन केन्द्र प्रायोजित परियोजना ''सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फोम्स'' को राज्य में लागू किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के 8 (आठ) जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण ''अर्थात् आत्मा संस्थान के कार्यक्रमों के संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य कृषि संवर्ग के निम्नांकित जिलास्तरीय पदाधिकारियों को परियोजना निदेशक, आत्मा के रूप में कार्य करने का अतिरिक्त प्रभार की स्वीकृति प्रदान की जाती है

आत्मा, दुमका - श्री गमालियल हांसदा, जिला उद्यान पदाधिकारी, दुमका
आत्मा, जामताड़ा - श्री सुरेन्द्र सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा
आत्मा, पं. सिंहभूम - श्री एम.एस.ए.एम. शिवा, परियोजना निदेशक, पं. सिंहभूम
आत्मा, पलामू - श्री लक्ष्मण उरॉव, जिला कृषि पदाधिकारी, पलामू
आत्मा, गढ़वा - श्री सुनील कुमार, प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी, गढ़वा
आत्मा, चतरा - श्री अमरेश कुमार झा, जिला कृषि पदाधिकारी, चतरा
आत्मा, हजारीबाग - श्री विमल बाखला, जिला कृषि पदाधिकारी, हजारीबाग
आत्मा, सरायकेला - श्री दयाल प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी, सरायकेला

इन पदाधिकारियों को परियोजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा ।

समेति एक्सक्यूटिव कांउसिल की 14 जुलाई '2005 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उपरोक्त पदाधिकारी जिलास्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगें । आत्मा संबंधी परियोजना निति के अनुसार आत्मा का निबंधन, आत्मा शासकीय निकाय, आत्मा प्रबंधन कमेटी, एस.आर.ई.पी.कोर टीम के गठन के साथ–साथ जिलास्तरीय एस.आर.ई.पी. के निर्माण एवं जिलास्तरीय कार्ययोजना के संचालन के लिए उपरोक्त परियोजना निदेशक उत्तरदायी होगें ।

इन परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि डॉ.ए.के.सरकार, एस.आर.ई.पी. कोर्डिनेटर एवं निदेशक समेति से प्राप्त मार्ग दर्शन एवं दिशा निर्देश के अनुसार परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करेगें ।

इन परियोजना प्रभारियों पर परियोजना के नियमों एवं शर्तो तथा दिये गये निर्देशों का उचित ढंग से पालन करना आवश्यक होगा ।

(हस्ताक्षर) 27.7.05

प्रधान सचिव (कृषि)
एवं अध्यक्ष, समेति,